



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 2015/माघ 3, 1936

No. 157]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 2015 /MAGHA 3, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2015

का.आ. 223(अ).—यतः, मै. रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, एक निजी संगठन, ने गुजरात राज्य के जामनगर में बहु-उत्पाद के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याओं का.आ. 568(अ), दिनांक 19 अप्रैल, 2006, का.आ. 873(अ), दिनांक 4 जून, 2007, का.आ. 1478(अ), दिनांक 29 अगस्त, 2007 एवं का.आ. 2295(अ), दिनांक 24 जुलाई, 2013 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमशः 440.08 हेक्टेयर, 784.02 हेक्टेयर, 540.0372 हेक्टेयर एवं 153.7057 हेक्टेयर क्षेत्रों को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3059(अ), दिनांक 4 अक्टूबर, 2013, द्वारा विशेष आर्थिक जोन में 708.1307 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित कर दिया था, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र 1209.7122 हेक्टेयर हो गया था;

और यतः, मै. रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने उक्त विशेष आर्थिक जोन में अब 79.73 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव किया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 79.73 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र 1289.4422 हेक्टेयर हो जाएगा जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं अर्थात् :-

326 GI/2015

(1)

तालिका

क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	नवागं	14/1/पी 1	2.0032
2		14/1/पी 2	1.9324
3		14/1/पी 3	1.3254
4		14/2/पी 1	1.9931
5		88	4.0873
6		89	1.9121
7		90	3.8749
8		95/पी 1	1.6188
9		95/पी 4	1.6188
10		97/पी 1	3.3488
11		97/पी 2	3.6422
12	कनाचिकारी	143/पी 1	0.9348
13		143/पी 3	2.0639
14		145/पी 1	1.0623
15		145/पी 2	1.0724
16		146	3.0756
17		147	2.1246
18		148/पी	2.2541
19		167/पी 1	0.6465
20		168	1.3557
21		246/1/पी 1	9.8557
22	पड़ना	540	0.2888
23		541	0.3461
24		542	0.3237
25		546	2.4180
26		547/पी	2.2713
27		550/पी 3	1.8006
28		550/पी 4	0.4047
29		551	0.0425
30		601	8.3285
31		602	5.8533
32		607	0.4654
33		614	0.6475
34		615	0.0911
35		610/पी 1	0.1619
36		588/पी 1	0.0425
37		600/पी 4	0.2995
38		600/पी 5	0.5666
39		545	2.5010
40		609	0.6859
41		544/पी	0.2023
42	कनालुस	390	0.1872
कुल			79.73
उपर्युक्त जोड़ के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			1289.4422 हेक्टेयर

[फा. सं. एफ. 2/41/2005—एसईजेड]

डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd January, 2015

S. O. 223(E).—Whereas, M/s Reliance Industries Ltd., a private company, had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a Multi Product Special Economic Zone at Jamnagar, in the State of Gujarat;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with Rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified the areas of 440.08 hectares, 784.02 hectares, 540.0372 hectares and 153.7057 hectares at above Special Economic Zone *vide* Ministry of Commerce and Industry Notification numbers S.O. 568(E), dated 19th April, 2006, S.O. 873(E), dated 4th June, 2007, S.O. 1478(E), dated 29th August, 2007 and S.O. 2295(E), dated 24th July, 2013 respectively.

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with Rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had de-notified an area of 708.1307 hectares from the above Special Economic Zones making resultant area as 1209.7122 hectares at above Special Economic Zone *vide* Ministry of Commerce and Industry Notification number S.O. 3059(E), dated 4th October, 2013;

And, whereas, M/s. Reliance Industries Ltd., has now proposed to include an area of 79.73 hectares to the above Special Economic Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an area of 79.73 hectares as part of above Special Economic Zone, thereby making total area of the Special Economic Zone as **1289.4422 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE

Sr. No.	Village	Survey No.	Area to be notified (in Hectares)
1	Navagam	14/1/P1	2.0032
2		14/1/P2	1.9324
3		14/1/P3	1.3254
4		14/2/P1	1.9931
5		88	4.0873
6		89	1.9121
7		90	3.8749
8		95/P1	1.6188
9		95/P4	1.6188
10		97/P1	3.3488
11		97/P2	3.6422
12	Kanachikari	143/P1	0.9348
13		143/P3	2.0639
14		145/P1	1.0623
15		145/P2	1.0724
16		146	3.0756
17		147	2.1246
18		148/P	2.2541
19		167/P1	0.6465
20		168	1.3557
21		246/1/P1	9.8557
22	Padana	540	0.2888
23		541	0.3461

24		542	0.3237
25		546	2.4180
26		547/P	2.2713
27		550/P3	1.8006
28		550/P4	0.4047
29		551	0.0425
30		601	8.3285
31		602	5.8533
32		607	0.4654
33		614	0.6475
34		615	0.0911
35		610/P1	0.1619
36		588/P1	0.0425
37		600/P4	0.2995
38		600/P5	0.5666
39		545	2.5010
40		609	0.6859
41		544/P	0.2023
42	Kanalus	390	0.1872
Total			79.73
Grand Total Area of SEZ after above addition			1289.4422

[F. No. F. 2/41/2005-SEZ]

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.